



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012026-269253
CG-DL-E-09012026-269253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2026/पौष 19, 1947

No. 17]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2026/PAUSHA 19, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 17(अ).— मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 351(अ), दिनांकित 28 मई, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

जबकि राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 29 मई, 2025 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के साथ पठित धारा 164ग की उप-धारा (2) के खंड (फ), (ब), (भ), और (म) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (मोटर वाहन दुर्घटना निधि) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) परंतु, इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान (मोटर वाहन दुर्घटना निधि) नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (ड) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियम के, नियम 3 के खंड (ग) में, "रकम" शब्द के स्थान पर "खाता" शब्द रखा जाएगा।

4. उक्त नियम के, नियम 4 में, उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) न्यास सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित ऐसे अन्य कार्य और ऐसे अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

5. उक्त नियम के, नियम 5 (i) के सारणी में क्रम संख्या 5 के स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:

"सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उप सचिव के रैंक से निम्न कोई अधिकारी नहीं"

6. उक्त नियम में, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

न्यासियों की शक्तियाँ और कार्य- (1) न्यास के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए और उससे संबंधित आनुषंगिक या सहायक मामलों को आगे बढ़ाने के लिए, न्यास की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

- (क) मोटर यान दुर्घटना निधि (न्यास कोर) के कार्यकरण और उपयोग का कालिक पुनर्विलोकन और जहां कहीं भी आवश्यक हो, सूसंगत सुधारात्मक उपायों के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;
- (ख) हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना स्कीम, 2022 के पीडित को प्रतिकर और धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के क्रियान्वयन पर केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;
- (ग) नियम 10 के अधीन किए गए अंशदान जिसमें मोटर यान दुर्घटना निधि (न्यास कोर) शामिल है, की प्राप्ति और उसके उपयोग के आधार पर मात्रा का वार्षिक पुनर्विलोकन;
- (घ) किसी प्राधिकरण या अभिकरण को, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जो ऐसे प्राधिकार में विनिर्दिष्ट की जायें, निम्नलिखित कार्यों में से एक या एक से अधिक के लिए प्राधिकृत करना, अर्थात्:-
 - (i) मोटर वाहन दुर्घटना निधि का प्रबंधन;
 - (ii) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीडितों को मुआवजा स्कीम, 2022 और धारा 162 के अधीन बनाई गई स्कीम का क्रियान्वयन;
 - (iii) केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 के नियम 11 के अनुसरण में मोटर यान दुर्घटना निधि का उपयोग सुनिश्चित करना।
- (ङ) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीडितों को मुआवजा योजना, 2022 और धारा 162 के अधीन बनाई गई योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी किसी भी प्राधिकरण या अभिकरणों द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे पर विचार-विमर्श करना;
- (च) मोटर वाहन दुर्घटना निधि के प्रशासन या हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीडितों को मुआवजा योजना, 2022 और बनाई गई योजना के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी अन्य मामले पर केंद्रीय सरकार से सिफारिश करना;
- (छ) न्यास के कार्यकरण के लिए विनियम और उप-विधि बनाना;
- (ज) कोई अन्य मामला जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति से प्रत्यक्षतः संबंधित हो जिनके लिए न्यास का गठन किया गया था।

(2) न्यास के क्रियाकलाप और कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और सभी कार्य और कृत्य कर सकता है जो न्यास द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं या की जा सकती हैं।

7. उक्त नियम के, नियम 7 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा:-

“(i) यह न्यास, न्यास विलेख द्वारा शासित होगा, जो कि इन नियमों के अतिरिक्त होगा और न कि इसके अल्पीकरण में होगा।”

8. उक्त नियम के नियम 8 के, -

(i) उप-नियम (1) में, -

(क) “न्यासी” शब्द के पश्चात, “या ऐसा प्राधिकरण या अभिकरण जिसे न्यास द्वारा प्राधिकृत किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) “बहियों और” शब्दों के पश्चात, “प्राप्त और संवितरित दावों के अभिलेख सहित” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) में, “न्यासी” शब्द के पश्चात, “या ऐसा प्राधिकरण या अभिकरण जिसे न्यास द्वारा प्राधिकृत किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-नियम (3) में, “न्यासी” शब्द के पश्चात, “या ऐसा प्राधिकरण या अभिकरण जिसे न्यास द्वारा प्राधिकृत किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iv) उप-नियम (4) में, “न्यासियों” शब्द के पश्चात, “या ऐसा प्राधिकरण या अभिकरण जिसे न्यास द्वारा प्राधिकृत किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(v) उप-नियम (7) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(8) न्यासियों या न्यास द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन भुगतान विनिर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए।

(9) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों, हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा स्कीम और धारा 162 के अधीन बनाई गई स्कीम के क्रियान्वयन के हित में जैसा सही समझे वैसी कार्यवाही कर सकेगी।

9. उक्त नियम के नियम 10 में, -

(i) नियम 10 को उसके उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (1) के खण्ड (क) में, जैसा कि इस प्रकार क्रमांकित है, -

(क) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड और परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्, -

भारत में मोटर बीमा का व्यवसाय करने वाली बीमा कम्पनियों द्वारा संग्रहित कुल तृतीय पक्ष प्रीमियम का ऐसा प्रतिशत, जैसा कि न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है:

परंतु बीमा कम्पनियां न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने पर, न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अंशदान जमा करेंगी”;

(ख) उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (i) का लोप किया जाएगा;

(iv) उप-नियम (1) के उपखंड (ग) में, जैसा कि इस प्रकार क्रमांकित है, -

(क) खंड (क) में निम्नलिखित खंड और परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

भारत में मोटर बीमा का व्यवसाय करने वाली बीमा कम्पनियों द्वारा संग्रहित कुल तृतीय पक्ष प्रीमियम का ऐसा प्रतिशत, जैसा कि न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है:

परंतु बीमा कम्पनियां न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने पर, न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अंशदान जमा करेंगी”;

(ख) खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(v) इस प्रकार क्रमांकित उप-नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(2) न्यास, धारा 162 के अधीन बनाई गई योजना की अपेक्षाओं के आधार पर बीमित यानों के खाते में और हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2022 की अपेक्षाओं के आधार पर हिट एंड रन मुआवजा खाते में, समय-समय पर न्यूनतम शेष राशि विनिर्दिष्ट करेगा जो अनुरक्षित रखी जाएगी।”

10. उक्त नियम के नियम 11 के -

(i) खंड (क) में, -

(क) उपखंड (i) में, “बीमाकृत यानों द्वारा कारित दुर्घटनाओं” शब्दों के पश्चात, “और धारा 162 के अंतर्गत बनाई गई योजना के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी प्रभार के लिए” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-खण्ड (ii) और (iii) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) में, -

(क) उप-खण्ड (i) में, मद (क) में, “अबीमाकृत यानों द्वारा कारित और हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों” शब्दों के स्थान पर, “बीमाकृत यानों से कारित दुर्घटनाओं से भिन्न और धारा 162 के अन्तर्गत बनाई गई स्कीम के क्रियान्वयन से संबंधित किसी प्रभार” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) और (iii) का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (ग) में, -

(क) उप खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, -

(i) “हिट एंड रन मुआवजा खाते का उपयोग हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों को हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा स्कीम, 2022 के साथ पठित धारा 161 और धारा 164क के अनुसरण में मुआवजा प्रदान करने के लिए और हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2022 के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी प्रभार के लिए किया जाएगा।”

(ख) उप-खण्ड (ii) का लोप किया जाएगा।

11. उक्त नियम के नियम 12 के, -

(i) उप-नियम (2) में, “नामनिर्दिष्ट अभिकरण को निधि स्थांतरित करना” शब्द के स्थान पर, “न्यास द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि के उपयोग की अनुज्ञा देगा” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) में, “नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा” शब्द का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-नियम (4) में, -

(क) “अबीमाकृत यानों द्वारा कारित मोटर दुर्घटना” शब्दों के स्थान पर “बीमाकृत यानों द्वारा कारित दुर्घटनाओं से भिन्न अन्य दुर्घटनाएं” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा” शब्द का लोप किया जाएगा;

(iv) उप-नियम (5) का लोप किया जाएगा;

(v) उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

“यदि हिट एंड रन दुर्घटना का कारण बनने वाले मोटर यान की पहचान बाद में हो जाती है -

(क) प्राधिकृत बीमाकर्ता या स्वामी, जैसी भी स्थिति हो, पीड़ित के नगदीरहित उपचार पर व्यय की गई स्वीकृत दावा राशि को असुरक्षित यानों या हिट एंड रन मोटर दुर्घटना संबंधी खाते में प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) और यदि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने कोई अधिनिर्णय पारित कर दिया है, तो प्राधिकृत बीमाकर्ता या स्वामी हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2022 के अधीन प्राप्त मुआवजा राशि को ऐसे अधिनिर्णय के अनुसरण में हिट एंड रन मुआवजा खाते में वापस कर देगा।”;

(vi) उप-नियम (7) का इसके परंतुक और स्पष्टीकरण सहित लोप किया जाएगा।

(vii) उप-नियम (7) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“**स्पष्टीकरण-** इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “अनुमोदित दावा रकम” का तात्पर्य ऐसे प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसी दावा रकम से है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।”

12. उक्त नियमावली में, नियम 14 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11036/64/2019-एमवीएल(कमेटी ई)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 162(अ), दिनांकित 25 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

G.S.R. 17(E).— Whereas, the draft rules to amend the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022 were published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, *vide* number G.S.R 351(E), dated the 28th May, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette notification, were made available to the public on the 29th May, 2025;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by Central Government;

Now, therefore, make in exercise of the powers conferred by clauses (v), (w), (x), and (y) of sub-section (2) of section 164C read with Section 164B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Central Motor Vehicle(Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022 namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Amendment Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022 (herein after referred to as the said rules), in rule 2, clause (e) shall be omitted.

3. In the said rules, in clause (c) of rule 3, for the word “Amount”, the word “Account” shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 4, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(4) The Trust shall perform such other functions and discharge such other responsibilities related to road accidents as may be specified, from time to time, by the Central Government”.

5. In the said rules, in rule 5 (i) in the Table in Serial number 5 in column (2), for the entry the following entry shall be substituted, namely:

“An officer not below the rank of Deputy Secretary, Ministry of Road Transport and Highways”

6. In the said rules, for rule 6, the following rule shall be substituted namely:-

Powers and functions of Trustees - (1) For the furtherance of the objects of the Trust, and matters incidental or ancillary to the attainment thereof, the Trust shall have the following powers:—

- (a) to periodically review of the working and utilisation of the Motor Vehicles Accident Fund (Trust Corpus), and make recommendations to the Central Government for relevant corrective steps, wherever necessary;
- (b) to make recommendations to the Central Government on the implementation of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and the scheme framed under section 162;
- (c) to annually review the quantum based on the receipt of contributions made to the Motor Vehicle Accident Fund (Trust Corpus) made under rule 10 of the Central Motor Vehicles (Motor Vehicles Accident Fund) Rules, 2022 and utilisation thereof;
- (d) to authorise, subject to such conditions and limitations as may be specified in such authorisation, any authority or agency for one or more of the following functions, namely:—
 - (i) the management of the Motor Vehicle Accident Fund;
 - (ii) implementation of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and the scheme framed under section 162;
 - (iii) to ensure utilisation of the Motor Vehicles Accident Fund in accordance with rule 11 of the Central Motor Vehicles (Motor Vehicles Accident Fund) Rules, 2022.
- (e) to deliberate upon any issues raised by any authorities or agencies responsible for the implementation of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and the scheme framed under section 162;
- (f) to make recommendations to the Central Govt. on any other issues related to the administration of the Motor Vehicles Accident Fund or implementation of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and the scheme framed;
- (g) to frame regulations and bye-laws for the working of the Trust;
- (h) any other matter directly related to the attainment of the objectives for which the Trust was constituted.

(2) The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Trust shall vest in the Board of Trustees which may exercise all powers and do all acts and things which may be exercised or done by the Trust.

7. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (I), for the word “formulated in accordance with these rules, and the Trust Deed”, the word “which” shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 8,—

(i) in sub-rule (1),—

- (a) after the words “The Trustees”, the words “or such authority or agency as may be authorised by the Trust” shall be inserted;
- (b) after the word “records”, the words “including records of the claims received and disbursed,” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (2), after the words “The Trustees”, the words “or such authority or agency as may be authorised by the Trust” shall be inserted;

(iii) in sub-rule (3), after the words “the Trustees”, the words “or such authority or agency as may be authorised by the Trust” shall be inserted;

(iv) in sub-rule (4), after the words “maintained by the Trustees”, the words “or such authority or agency as may be authorised by the Trust” shall be inserted.

(v) after sub-rule (7), following sub-rules shall be inserted, namely,—

“(8) The Trustees or such authority or agency as may be authorised by the Trust shall ensure that payments are made as per the specified time limit under the schemes framed under the Act.

(9) The Central Government may take such action as it may deem fit in the interest of implementing these rules, the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and the Scheme framed under section 162.”

9. In the said rules, in rule 10,—

(i) the rule 10 shall be numbered as sub-rule (1) thereof;

(ii) in clause (a) of sub-rule (1) as so numbered,—

(a) for sub clause (i), the following sub clause and proviso shall be substituted, namely,—

“such percentage of total third party premium collected by insurance companies carrying on the business of motor insurance in India as may be specified by the Trust:

Provided that the insurance companies shall deposit contributions as and when specified by the Trust, within such period as may be specified by the Trust”;

(b) sub clause (ii) shall be omitted;

(iii) in clause (b) of sub-rule (1) as so numbered, sub clause (i) shall be omitted;

(iv) in sub clause (c) of sub-rule (1) as so numbered,—

(a) in clause (a), following clause and proviso shall be substituted, namely,—

“such percentage of total third party premium collected by insurance companies carrying on the business of motor insurance in India as specified by the Trust:

Provided that the insurance companies shall deposit contributions as and when specified by the Trust, within such period as may be specified by the Trust”;

(b) clause (b) shall be omitted;

(v) After sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely,—

“(2) The Trust may, from time to time, specify a minimum balance which shall be maintained in the Account for Insured Vehicles, based on the requirements of the scheme framed under section 162 and the Hit and Run Compensation Account based on the requirements of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022.”.

10. In the said rules in rule 11—

(i) in clause (a),—

(a) in sub clause (i), after the words “accidents caused by insured vehicles”, the words and figures “and for any charges relating to the implementation of the scheme framed under Section 162” shall be inserted;

(b) sub clauses (ii) and (iii) shall be omitted;

(ii) in clause (b),—

(a) in sub clause (i), in item (a), for the words “caused by uninsured vehicles and hit and run motor accident victims”, the words “other than those caused by insured vehicles and any charges relating to implementation of the scheme framed under Section 162” shall be substituted;

(b) clauses (ii) and (iii) shall be omitted;

(iii) in clause (c),—

(a) for sub clause (i), following clause shall be substituted, —

(i) “Hit and Run Compensation Account shall be utilised for providing compensation to hit and run accident victims as per Section 161 and Section 164A, read with the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 and for any charges related to implementation of the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022.” ;

(b) sub clause (ii) shall be omitted.

11. In the said rules, in rule 12,—

(i) in sub-rule (2), for the words “transfer the fund to the designated agency”, the words “permit the utilisation of the Motor Vehicle Accident Fund by such authority or agency authorised by the Trust” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), the words “by the designated agency” shall be omitted;

(iii) in sub-rule (4),—

(a) for the words “motor accidents caused by uninsured vehicles”, the words “accidents other than those caused by insured vehicles” shall be substituted;

(b) the words “by the designated agency” shall be omitted;

(iv) sub-rule (5) shall be omitted;

(v) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely,—

“If the identity of the motor vehicle causing the hit and run accident is subsequently identified -

- (a) the authorised insurer or owner, as the case may be, shall be liable to reimburse the approved claim amount spent on the cashless treatment of the victim, to the Account for Uninsured Vehicles or Hit and Run Motor Accident;
- (b) and if the Motor Accident Claim Tribunal has passed an award, the authorised insurer or owner shall return the compensation amount received under the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 to the Hit and Run Compensation Account, in accordance with such award.”;

(vi) sub-rule (7), along with the proviso and Explanation thereto, shall be omitted;

(vii) After sub-rule(7), following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation – For the purposes of this rule, “approved claim amount” shall mean such claim amount approved by such authority or agency as may be specified by the Central Government”.

12. In the said rules, rule 14 shall be omitted.

[F. No. RT-11036/64/2019-MVL(Committee E)]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 162(E), dated the 25th February, 2022.